निबंधन संख्या पी०टी०-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1932 (शo)
(सं० पटना 782) पटना, बृहस्पतिवार 16 दिसम्बर 2010

सं० 5/मं०मं०स०(ज०शि०) विधि–05/2010–1717
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प
15 दिसम्बर 2010

विषय :– **2010 निर्वाचन के पश्चात् दिनांक 26 नवम्बर 2010 को गठित सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (2010–2015) के अंतर्गत सुशासन के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम नीति को लागू करने एवं इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में।**

वर्ष 2010 के विधान सभा निर्वाचन एवं नई सरकार के गठन के पश्चात् न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत "न्याय के साथ विकास" के संकल्प को दोहराते हुए आगामी 05 वर्ष (2010–15) में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु सुशासन के कार्यक्रम (2010–15) को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है:–

(क) जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक जिला पदाधिकारी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे एवं उनके क्रियान्वयन हेतु वे समीक्षोपरान्त प्रभारी मंत्री–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के समक्ष उक्त समिति की बैठक में रखेंगे।

(ग) मुख्य सचिव अपने स्तर पर विभागीय प्रधान सचिवं/सचिव/पुलिस महानिदेशक के साथ नियमित रूप से इन कार्यक्रमों के संबंध में बैठक करेंगे तथा संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे।

राज्य सरकार के सभी विभाग इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अविलम्ब कारवाई सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य स्तर से लेकर प्रशासन के निम्न स्तर तक सभी कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम (2010–15) संलग्न है।

(च) महिलाओं की रोजगारोन्मुखी क्षमता विकास के लिए विभिन्न सेवा प्रक्षेत्रों यथा कम्प्यूटर, ब्यूटीशियन, नर्सिंग, प्राथमिक शिक्षा आदि में संभावनाओं को प्रोत्साहित करना एवं कार्यक्रम/योजनाओं के द्वारा आधारभूत संरचना विकास।

बाल विकास

1. समेकित बाल संरक्षण योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना।
2. बच्चों के सांस्थानिक देखभाल (Institutional Care to Children) हेतु विशेष गृहों (Special homes) की स्थापना करना।
3. अनाथ, बेसहारा एवं वंचित समुदाय के बच्चों की देखभाल के लिए उनके दत्तक ग्रहण कार्यक्रम (Adoption), Foster Care कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।
4. भूले भटके और अनाथ–आश्रित बच्चों के लिए प्रमंडल स्तर पर बाल गृहों की स्थापना करना।
5. मुक्त कराये गये श्रमिकों या स्टेशन आदि पर घूमते अनाश्रित बच्चों के लिए जिला स्तर पर अल्पावास गृह।
6. समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत स्थापित आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अनुपालन के प्रयास में तेजी लाकर प्रदत्त सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाना।
7. आँगनबाड़ी केन्द्रों के नये भवनों के समयबद्ध निर्माण की व्यवस्था।
8. आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में आनेवाले बच्चों को SNP के तहत Micronutrient Fortified Food उपलब्ध करवाना और इसका समुचित प्रबंधन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करना।
9. ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस को राज्य के सभी पंचायतों में लागू करना।
10. राज्य पोषण नीति का निर्माण और राज्य पोषण मिशन प्राधिकार का गठन कर इसका कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करना।
11. मुख्यमंत्री निक्षावृत्ति निवारण योजना का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायगा।

सामाजिक न्याय

1. जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना अंतर्गत सभी जिलों में छात्रावासों का निर्माण समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाएगा।
2. अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम बनाया जाएगा।
3. अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जन जाति की बालिकाओं को "हुनर' और "औजार' योजना के तहत व्यापक पैमाने पर आच्छादित किया जाएगा।
4. गाँवों के परम्परागत उद्योगों जैसे बढ़ईगीरी, लोहारगीरी, बर्तन बनाने का काम, कुम्हार का काम आदि को बढ़ावा देकर बाजार की सुविधा मुहैया कराई जायेगी।
5. बिहार महादलित विकास मिशन की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन को त्वरित और समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही नई योजनाओं को भी प्रारंभ किया जाएगा।
6. पुलिस और अन्य विभागों की नियुक्तियों हेतु अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और जन जाति के इच्छुक उम्मीदवारों की विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
7. अनुसूचित जाति/जन जाति आवासीय छात्रावासों का जीर्णोद्धार कर उनके प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

अल्पसंख्यक कल्याण

1. राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।
2. राज्य में कब्रिस्तान घेराबंदी के अंतर्गत बचे हुए कब्रिस्तानों की घेराबंदी समयबद्ध ढंग से करायी जाएगी।
3. अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र निदेशालय बनाया जाएगा।
4. अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी आबादी के अनुरूप विभिन्न योजना मद में धन राशि "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान' के रूप में कर्णाकित की जाएगी।
5. उर्दू पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।
6. बुनकरों के कल्याणार्थ हर बड़ी बुनकर आबादी में एक औद्योगिक हब बनाया जाएगा जहाँ ऋण और अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाएगी।
7. वक्फ बोर्ड के प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ किया जाएगा तथा वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
8. सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन किया जाएगा।
9. मदरसा शिक्षा की उच्चतर गुणवत्ता हेतु इसे आधुनिक तकनीकी और कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
10. मदरसा शिक्षा से जुड़े शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे।

11. प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बंगला भाषी विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप बंगला भाषी शिक्षकों का पदस्थापन करने का प्रयास किया जाएगा।
12. "तालिमी मरकज", "हुनर" और "औजार" जैसे कार्यक्रम जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को शिक्षा और कौशल विकास प्रदत्त करने के लिए चलाये जा रहे हैं, का विस्तार किया जाएगा।
13. मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को जमीन और भवन की सुविधा प्रदान कर इसकी गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।
14. राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के लिए मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी नियुक्त कर अधिक से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
15. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बिहार शाखा को शीघ्र चालू कराने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
16. बीड़ी मजदूर बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा तथा उन्हें ऋण और आवास निर्माण की सहायता प्रदान की जाएगी।
17. बिहार राज्य धुनिया, रंगरेज, दरजी, कॉऑपरेटिव फेडरेशन को सुदृढ़ बनाकर इन पेशों से जुड़े लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
18. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विभिन्न स्रोतों से सरकारी सहायता प्राप्त करने की पात्रता हेतु आवश्यक अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाणपत्र देने हेतु नियमावली बनायी जाएगी तथा यह कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपा जाएगा ।
19. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोजगार एवं अपना कारोबार आरंभ करने के लिए "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना" तथा अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने हेतु "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना प्रारंभ की जाएगी ।
20. अल्पसंख्यक छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं जैसे कम्प्यूटर, इण्टरनेट, ध्वनिरहित जेनरेटर आदि उपलब्ध कराया जाएगा ताकि छात्र आधुनिक परिवेश में पढ़ाई कर सकें। इन छात्रावासों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक अल्पसंख्यक छात्रावास के परिसर में ही छात्रावास अधीक्षक के आवास का निर्माण किया जाएगा । अल्पसंख्यक छात्रावासों के मरम्मत एवं रख–रखाव तथा आवर्ती व्यय के लिए विभागीय बजट से राशि आवंटित की जाएगी तथा छात्रावासों की देखभाल हेतु आवश्यक पद सृजित किये जाएंगे ।
21. बिहार राज्य हज समिति का वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया जाएगा ताकि हज समिति के माध्यम से हाजियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करायीं जा सकें।
22. परित्यक्ता अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए चलायी जा रही सहायता योजना को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लाभान्वित महिलाएँ प्राप्त राशि से स्वरोजगार कर सकें।
23. सूफी परम्परा से जुड़े स्थलों और अल्पसंख्यक समुदाय के पुस्तकालयों के रख–रखाव और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

राज्य में गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करनेवाले परिवारों की कुल संख्या 1.4 करोड़ है। भारत सरकार राज्य के इन सभी सर्वेक्षित परिवार के लिए अनुदानित दर पर खाद्यान्न राज्य को उपलब्ध न कर केवल करीब 65 लाख बी०पी०एल० परिवार के लिए ही खाद्यान्न आवंटित करती है। सभी 1.4 करोड़ परिवारों को खाद्य सुरक्षा देने हेतु लघुकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तैयार की जाएगी जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् होंगे:–

1. राज्य स्तरीय बी.पी.एल. आयोग गठित किया जायगा जो कि सभी बी.पी.एल परिवारों को चिन्हित करेगा तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन करेगा।
2. सभी बी.पी.एल परिवारों को खाद्यान्न या उसके एवज में समतुल्य नकद राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
3. राज्य के सभी पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति का कार्य संचालित कर किसानों के उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहजता से खरीदा जाएगा।
4. अधिप्राप्ति एवं जन–वितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर उनकी कार्य क्षमता और उनके आच्छादन में समुचित अभिवृद्धि की जाएगी।
5. राज्य में भंडारण क्षमता का विकास कर अधिप्राप्ति की पूर्ण संभावनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा।

पर्यटन

1. राज्य के समृद्ध विरासत स्थलों को चिन्हित कर उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
2. पर्यटन के लिए आधारभूत संरचना यथा होटलों के निर्माण, Way Side Facility एवं अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को लोक निजी भागीदारी के तहत मूर्त रूप दिया जाएगा।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो04/1-14/2009 3399 /यो0वि0,पटना,दिनांक 14 जुलाई,2015

प्रेषक,

डॉ0 दीपक प्रसाद,
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
राज्य योजना से संबंधित विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: वार्षिक योजना 2015-16 अंतर्गत विभागीय योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्रोग्राम के रूप में राशि कर्णाकित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 005/2010-1717/16.12.2014 के आलोक में सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना के पत्रांक 831 दिनांक 06.07.2015 के द्वारा विभागीय योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्रोग्राम के रूप में राशि कर्णाकित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

अनुरोध है कि उक्त विषय के संबंध में प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि इसे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: यो04/1-14/2009 3399 /यो0वि0,पटना,दिनांक 14 जुलाई,2015

प्रतिलिपि- सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना के पत्रांक 831 दिनांक 06.07.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
13.7.15